कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, जबलपुर संभाग-दो

// विज्ञप्ति //

कार्यालय संभागीय उपायुक्त,वाणिज्यिक कर जबलपुर संभाग एक के क्षेत्राधिकार में आने वाले वाणिज्यिक कर वृत्त कार्यालय जबलपुर वृत-एक,दो,तीन एवं चार तथा कार्यालय संभागीय उपायुक्त,वाणिज्यिक कर जबलपुर संभाग-दो के क्षेत्राधिकार में आने वाले कटनी वृत्त -एक, कटनी वृत्त-दो,मण्डला वृत्त,नरसिंहपुर वृत्त,शहडोल वृत्त एवं अनूपपुर वृत्त में वसूली कार्य हेतु वाहन ग्रहण दिनांक से वित्तीय वर्ष 31-3-2018 तक के लिए वाणिज्यिक कर जबलपुर संभाग-एक के लिए तीन वाहन एवं संभाग-दो हेतु चार वाहन किराये पर लिया जाना है | उक्तानुसार निम्न शर्तो के अधीन पृथक-पृथक निविदाऐं दिनांक 18-08-2017 को दोपहर 2.00 बजे तक मुहर बंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है| नियत दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा |

शर्ते :—

1- निविदा में 4+1 कुल 5 व्यक्ति,परिवहन क्षमता वाले वाहन जैसे- इंडिका,इण्डिको,मारुति स्विफ्ट,मारुति,रिट्स,आदि नॉन एसी वाहनों के लिए किराए की दरों का उल्लेख श्रेणी वार पृथक -पृथक किया जावेगा |

2- ऐसे वाहन वर्ष 2016 या उसके बाद के मॉडल के होना चाहिए |

3- वाहन मालिक/संस्था जीएसटी में पंजीयन होना अनिवार्य है |

4- कंडिका क्रमांक एक हेतु मासिक किराये के तहत वाहन का उपयोग प्रतिमाह अधिकतम 1000 किलोमीटर हेतु राशि रु.23,900/- देय होगी | किसी माह में 1000 किलोमीटर से अधिक उपयोग किये जाने की दशा में 8/- रुपये प्रति किलोमीटर किराये की दर से प्रथक से देय होगी , जो कि प्राप्त होने वाली निविदाओं में से न्यूनतम दर के आधार पर निर्धारित की जा सकेगी | मुख्यालय पर अतिरिक्त वाहन चालन की दशा में प्रति किलोमीटर की दर एवं मुख्यालय से बाहर वाहन चालन की दशा में प्रति किलोमीटर की दर का पृथक-2 उल्लेख किया जाए.|

5- यदि किसी दिवस वाहन उपलब्ध नही हुआ तो प्रत्येक दिवस के लिये रु.1000/- के मान से भुगतान में कटौती की जावेगी |

6- वाहन हमेशा मय डीजल या ईधन व ड्राईवर सहित उपलब्ध कराना होगा तथा ड्रायवर का कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस वैद्य तिथि का होना चाहिए | ड्रायवर का आचरण शालीन एवं अनुशासित होना चाहिए | वाहन की टूट-फूट एवं रख रखाव के समस्त खर्चे व देयकर वाहन मालिक को वहन करना होगा | वाहन चालक की अनुपस्थिति में दूसरा वाहन चालक उपलब्ध कराना होगा | वाहन चालक को निर्धारित लायसेसधारी होना चाहिए तथा उसके विरूध्द कोई आपराधिक मामले पुलिस अथवा न्यायालय में पंजीबध्द नहीं होना चाहिए |

7- वाहन के ड्राईवर के अवकाश पर रहने की स्थिति में दूसरा ड्राईवर मय वाहन उपलब्ध कराना होगा |

8- वाहन एजेंसी पर देय समस्त शासकीय/अन्य करों आदि के नियमानुसार भुगतान का व्यय वाहन किराये पर देने वाली एजेंसी द्वारा वहन किया जावेगा1 भुगतान योग्य आयकर जीएसटी का स्त्रोत पर कटौती किया जावेगा |

अ. किराये पर लिया जाने वाला वाहन नियमित होगा, तथा वाहन के साथ कोई दुर्घटना होने पर समस्त प्रकार का दायित्व वाहन किराये पर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी/संस्था का होगा|

ब. वाहन की चोरी या क्षतिग्रस्त होने पर समस्त वैधानिक कार्यवाही का दायित्व किराये पर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी/संस्था का होगा |

स. वाहन,परिवहन अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार बीमित होना अनिवार्य है1

9. समस्त शासकीय एवं अन्य करों आदि का नियमानुसार भुगतान वाहन एजेंसी/संस्था द्वारा वहन किया जायेगा | भुगतान योग्य आयकर कटौती, आयकर अधिनियम के अनुसार इस विभाग द्वारा की जायेगी 1

10. नियमानुसार लॉकबुक का संधारण किया जायेगा, जिसमें सभी प्रविष्टियां अनिवार्य रुप से की जायेगी एवं उपयोगकर्ता अधिकारी के द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर किये जायेंगे |

11. ऐसे वाहन वित्त वर्ष 2017-18 के लिये किराये पर लिये जायेंगे तथा यह अवधि आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकेगी |

12. वाहनों का नियमित रुप से मैन्टेनेंस किया जाना आवश्यक है तथा वाहन में फ्यूल,मैन्टेनेंस,वाहन चालक का एवं अन्य समस्त व्यय वाहन किराये पर देने वाली एजेंसी/ संस्था द्वारा वहन किया जायेगा |
13. जबलपुर मुख्यालय से बाहर स्थित जिलों में वाहन मय वाहन चालक के उसी जिले में उपलब्ध कराना होगा |
14. निविदाकर्ता द्वारा 100/- के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि समस्त शर्ते उन्हें मान्य हैं|
15. रुपये 20,000/- की अर्नेस्ट मनी डिमाण्ड ड्राफ्ट के रुप में जो इस विज्ञप्ति के जारी होने से पूर्व का न हो तथा संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर संभाग-दो के पक्ष में हो, प्रस्तुत करना होगा | निविदा के साथ नियमानुसार दो सीलबंद लिफाफे के संलग्न करना होगा | प्रथम सीलबंद लिफाफा "अ" अर्नेस्ट मनी का होगा जिस पर अर्नेस्ट मनी मय सहपत्रों के लिखा हो | दूसरा सीलबंद लिफाफा "ब" निविदा का होगा | सर्वप्रथम "अ" लिफाफा को खोलकर शर्ते पूर्ण करने वाली संस्थाओं की सूची तैयार की जाएगी | जिन संस्थाओं द्वारा पूर्ण नहीं की जा सकेंगी उनका "ब" लिफाफा नहीं खोला जायेगा | तैयार की गई सूची के आधार पर निविदाकारों को न्यूनतम दरों के आधार प्रथम/ द्वितीय सफल निविदाकार घोषित किया जाएगा | प्रथम एवं द्वितीय सफल निविदाकर्ताओं को छोड़कर शेष की अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जायेगी |
16. आवेदन में मासिक दर समस्त करों सहित दर्शाया जाए | इसके अतिरिक्त प्रतिदिन का जिले के बाहर प्रवास हेतु दरें भी प्रथक से दर्शायी जाये |
17. वाहन के लिये प्रस्तुत की जाने वाली निविदाएं मुहरबंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 18-08-2017 समय दोपहर 2.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेगी तथा ऐसी निविदाएं अधोहस्ताक्षरकर्ता या इस हेतु बनाई गई समिति के समक्ष खोली जायेंगी |
18. प्राप्त निविदाओं मे से सामान्यतः न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकृत की जावेगी | फिर भी निविदा के मान्य / अमान्य /स्थगित करने का पूरा अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता / समिति के पास सुरक्षित रहेगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा | प्रस्तुत की जाने वाली निविदाओं में उपरोक्त शर्तो से भिन्न कोई शर्त मान्य नहीं की जावेगी |

(ओ.पी.वर्मा)
संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर,
जबलपुर संभाग-दो